354 313
02/02/16

# आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना

पत्रांक 87 /आर०टी०ए०

प्रेषक,


आनन्द किशोर,
आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।


सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 27 जनवरी, 2016

विषय :– पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों में आगे नीली बत्ती के प्रयोग के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–06/सी0एम0टी0–2012–3450 दिनांक 18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–06/सी0एम0टी0–2012–3450 दिनांक 18.06.2014 के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों में आगे नीली बत्ती के प्रयोग की अनुमति दी गई है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | सभी प्रधान सचिव | (x) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/समकक्ष |
| (ii) | पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक | (xi) | जिला पदाधिकारी |
| (iii) | सरकार के सचिव | (xii) | पुलिस अधीक्षक |
| (iv) | महानिबंधक/निबंधक उच्च न्यायालय | (xiii) | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश |
| (v) | प्रमंडलीय आयुक्त | (xiv) | उप विकास आयुक्त |
| (vi) | पुलिस महानिरीक्षक | (xv) | अपर जिला दण्डाधिकारी |
| (vii) | क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक | (xvi) | मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी |
| (viii) | राज्य परिवहन आयुक्त | (xvii) | अनुमंडल पदाधिकारी |
| (ix) | क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक | (xviii) | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी |

2. किन्तु यह देखा गया है कि कुछ सरकारी विभागों में प्रबंध निदेशक अथवा विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा भी सरकारी वाहनों में नीली बत्ती का उपयोग किया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैधानिक है तथा सरकारी प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय है। साथ ही यह भी देखा गया है कि कुछ पदाधिकारी अपनी स्वयं की निजी वाहनों में भी नीली बत्ती लगाते हैं, जो पूर्णतः अवैधानिक है तथा सरकारी नियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है।

गैर सरकारी प्र०सं० 686
दिनांक 23-02-16
मु० अभि० बो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

जल संसाधन विभाग
आवती संख्या 599 19/2/16

768
02.2.16

312

3. अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि उपरोक्त कंडिका–1 में अंकित सूची के अलावा अन्य किसी भी सरकारी वाहनों में नीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जाय। यदि इसके अलावा कोई पदाधिकारी इसके बावजूद भी विभागीय सरकारी वाहन में अनाधिकृत रूप से नीली बत्ती का उपयोग करते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय तथा सम्बन्धित चालक को निलंबित करते हुए चालक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

4. उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के निदेश पर वर्त्तमान में जिला प्रशासन, पटना द्वारा वाहनों के सघन जॉच का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उन्हें सरकारी/निजी वाहनों में लाल/नीली बत्ती के अनाधिकृत उपयोग करने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। अतः वाहनों की जॉच के क्रम में यदि ऐसे कोई भी निजी/सरकारी वाहन अनाधिकृत रूप से लाल/नीली बत्ती का उपयोग करते हुए पाये जायेंगे तो ऐसे वाहनों पर एम0वी0एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उनपर शस्ति (penalty) अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही ऐसे वाहनों का एम0वी0एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधन भी रद्द किया जा सकता है।

5. अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों एवं चालकों को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय तथा इसका उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों तथा चालकों के बिरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)
आयुक्त
पटना प्रमंडल, पटना।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- रोकड़/वाहन-1-58/2002 (खंड)---1045---दिनांक-----18-2-2010

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के आशुलिपिक/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख(उत्तर)/अभियंता प्रमुख(दक्षिण)/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग के सभी चालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मोहन पासवान)
सरकार के अवर सचिव ।